प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 17 जून, 2022*

विषय:- जिला कारागार, बहराइच, में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आलमगीर पुत्र श्री अब्दुल्ला, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी आलमगीर पुत्र श्री अब्दुल्ला, जो-ग्राम-गुलरा, बकसहिया, थाना-मोतीपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। बन्दी द्वारा आलमगीर की पुत्री की शादी मो0 अहमद उर्फ सलामत से हुयी थी। पत्नी का आचरण ठीक न होने के कारण अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसी विवाद को लेकर दिनांक 04.07.2012 को आलमगीर अपने 03 पुत्रों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-306/2012, में भा0द0वि0 की धारा-302,323/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), बहराइच के आदेश दिनांक 16.03.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2020 तक 07 वर्ष, 03 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 11 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा बंदी के जेल से रिहा होने पर पुन: अपराध की संभावना होने या बंदी के साथ अपराध घटित होने, बंदी के कारागार में निरूद्ध रहने पर पीड़ित पक्ष को न्याय पालिका पर विश्वास होने, बंदी के समयपूर्व रिहा होने पर पीड़ित पक्ष के साथ पुन: कोई जघन्य अपराध घटित होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, बंदी की पारिवारिक पृष्ठभूमि अपराधिक होने तथा गांव में आम शोहरत अच्छी नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आलमगीर (बन्दी संख्या--58/2017) पुत्र श्री अब्दुल्ला, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-82/2022/1228(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बहराइच।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।